संख्या - 41/सीपी 43/84-2-2014-6(विविध)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।
(3) अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2014

विषय 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन दिनांक 29 मार्च, 2014 को किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं रसद अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-35/रा-198/29-1-14-81विविध/13, दिनांक 28 जनवरी, 2014 की अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 29.03.2014 को आयोजित की जाने वाली 'राष्ट्रीय लोक अदालत' के दृष्टिगत सदस्य, सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 26.12.2013 तथा दिनांक 03.01.2014 में की गयी अपेक्षानुसार विभाग से सम्बन्धित अधिकाधिक वादों को चिन्हित कराकर उनके राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से खाद्य एवं रसद अनुभाग-1 को अवगत कराते हुए प्रति इस अनुभाग को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

.....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(2) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप डेस्क इकाई, उ0प्र0 शासन।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in